इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकिंग एण्ड फाइनैन्स का मासिक न्यूजलेटर प्रति माह 40/ रुपए
(आईएसओ 9001 : 2015 द्वारा प्रमाणित)

व्यावसायिक
उत्कृष्टता के
प्रति प्रतिबद्ध

आईआईबीएफ विजन

खंड : 11 अंक : 4 नवम्बर, 2018 पृष्ठों की संख्या 15

विजन : बैंकिंग और वित्त के क्षेत्र में सक्षम व्यावसायिक शिक्षित एवं विकसित करना।

मिशन : प्राथमिक रूप से शिक्षण, प्रशिक्षण, परीक्षा, परामर्श और निरंतर आधार वाले व्यावसायिक विकास कार्यक्रमों की प्रक्रिया के माध्यम से सुयोग्य और सक्षम बैंकरों एवं वित्तीय व्यावसायिकों का विकास करना।

इस अंक में

मुख्य घटनाएँ ----------2
बैंकिंग से संबन्धित नीतियाँ----------3
बैंकिंग जगत की घटनाएँ ----------4
नयी नियुक्तियाँ----------5
उत्पाद एवं गठजोड़ ----------5
विदेशी मुद्रा **----------5**
शब्दावली ----------6
वित्तीय क्षेत्र की बुनियादी जानकारी ----------7
संस्थान की प्रशिक्षण गतिविधियां ----------7
संस्थान समाचार ----------8
नयी पहलकदमी ---------- 11
बाजार की खबरें ----------12

इस प्रकाशन में समाविष्ट सूचना / समाचार की मदें सार्वजनिक उपयोग अथवा उपभोग हेतु विविध बाह्य स्रोतों/ मीडिया में प्रकाशित हो चुकी/चुके हैं और अब वे केवल सदस्यों एवं अभिदाताओं के लिए प्रकाशित की/ किए जा रही / रहे हैं। उक्त सूचना/समाचार की मदों में व्यक्त किए गए विचार अथवा वर्णित/उल्लिखित घटनाएँ संबन्धित स्रोत द्वारा यथा-अनुभूत हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकिंग एण्ड फाइनैन्स समाचार मदों/घटनाओं अथवा जिस किसी भी प्रकार की सच्चाई अथवा यथार्थता अथवा अन्यथा के लिए किसी भी प्रकार से न तो उत्तरदाई है, न ही कोई उत्तरदायित्व स्वीकार करता है।

मुख्य घटनाएँ

भारतीय रिजर्व बैंक का चौथा द्विमासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य, 2018-19

वर्तमान और उभरती स्थूल-आर्थिक स्थिति के मूल्यांकन के आधार पर मौद्रिक नीति समिति (MPC) ने निम्नलिखित उपाय करने का निर्णय लिया :

- चलनिधि समायोजन सुविधा (LAF) के अधीन नीतिगत पुनर्खरीद (repo) दर को 6.5 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखने।
- फलत: चलनिधि समायोजन सुविधा के अधीन प्रति-पुनर्खरीद (reverse repo) दर को 6% पर बनाए रखने।
- सीमांत स्थायी सुविधा (MSF) दर और बैंक दर 6.75 प्रतिशत रखने।

भारतीय रिजर्व बैंक ने अंतर-परिचालनीयता हेतु दिशानिर्देश जारी किए

भारतीय रिजर्व बैंक ने विविध पूर्व-प्रदत्त लिखतों के बीच अंतर-परिचालनीयता के लिए दिशानिर्देश जारी कर दिये हैं। अंतर-परिचालनीयता (interoperatability) ऐसी तकनीकी सुसंगतता होती है जो किसी भुगतान प्रणाली को अन्य भुगतान प्रणालियों के संयोजन में प्रयुक्त किए जाने में समर्थ बनाती है। अंतर-परिचालनीयता पूर्व-प्रदत्त लिखत (PPI) जारीकर्ताओं, प्रणाली प्रदाताओं और विभिन्न प्रणालियों में प्रणाली के सहभागियों को बहुविध प्रणालियों में सहभागिता किए बिना सभी प्रणालियों के बीच भुगतान लेनदेनों को संपादित करने, समाशोधित करने तथा निपटाने में समर्थ बनाती है।

बैंकिंग से संबन्धित नीतियां

गैर-बैंकिंग कंपनियों को उधार देने हेतु भारतीय रिजर्व बैंक ने अधिक चलनिधि स्रोत उपलब्ध कराये

बैंकों को अनिवार्य सांविधिक चलनिधि अनुपात (SLR) आवश्यकता के भीतर चलनिधि व्याप्ति अनुपात के लिए चलनिधि प्राप्त करने की सुविधा (FALLCR) के अधीन उनके द्वारा धारित सरकारी प्रतिभूतियों को 19 अक्तूबर, 2018 के दिन उनकी बहियों में बकाया गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFCs) और आवास वित्त कंपनियों (HFCs) को ऋण की रकम के अतिरिक्त गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों और आवास वित्त कंपनियों को उनके वृद्धिशील बकाया ऋण की समतुल्य रकम तक स्तर 1 की उच्च गुणवत्ता वाली अनिरुद्ध (liquid) आस्तियों (HQLA) के रूप में परिकलित करने की भी अनुमति होगी। यह सुविधा निवल मांग एवं सावधि देयता (NDTL) के वर्तमान 13 प्रतिशत के अलावा होगी तथा बैंक की निवल मांग एवं सावधि देयता के 0.5 प्रतिशत तक सीमित होगी। भारतीय रिजर्व बैंक ने उन गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए एकल उधारकर्ता एक्सपोजर सीमा को 31 दिसंबर, 2018 तक 10 % से बढ़ा कर पूंजीगत निधियों की 15% कर दिया है जो मूलभूत सुविधा का वित्तीयन नहीं करतीं।

भारतीय रिजर्व बैंक ने आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियों के प्रायोजकों के लिए योग्य एवं उपयुक्त मानदंड जारी किए

भारतीय रिजर्व बैंक ने आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियों (ARCs) के मौजूदा और प्रस्तावित प्रायोजकों के लिए योग्य एवं उपयुक्त मानदंड जारी कर दिये हैं। भारतीय रिजर्व बैंक कोई आस्ति पुनर्निर्माण कंपनी लाइसेन्स जारी करने के पहले किसी प्रयोजक की ईमानदारी, प्रतिष्ठा, पिछले कार्य-निष्पादन रिकार्ड तथा प्रयोज्य क़ानूनों और विनियमों के अनुपालन और व्यवसाय के रिकार्ड एवं अनुभव पर विचार करेगा। आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियों के प्रायोजकों के लिए यह आवश्यक होगा कि वे प्रायोजकों के संबंध में ऐसी किसी भी सूचना की जांच करें जो ऐसे व्यक्तियों को इस प्रकार के शेयरों

को धारित करने हेतु योग्य एवं उपयुक्त नहीं बना सकती हो तथा उन्हें इस संबंध में विनियामक

को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करनी चाहिए। आस्ति पुनर्निर्माण कंपनी की शेयरधारिता में किसी भी परिवर्तन के लिए भारतीय रिजर्व बैंक का अनुमोदन अनिवार्य होगा।

बैंकिंग जगत की घटनाएँ

सेबी ने पारस्परिक निधियों के कुल व्ययों, कार्य-निष्पादन प्रकटन के संबंध में रूपरेखा जारी की

पारस्परिक निधियों (MFs) के व्ययों में पारदर्शिता लाने और संविभाग मंथन (churning) तथा गलत वर्तनी (misspelling) को कम करने के उद्देश्य से भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने आस्ति प्रबंधन कंपनियों से किसी प्रारम्भिक कमीशन के भुगतान के बिना सभी योजनाओं में कमीशन का पूर्ण ट्रेल (trail) माडल अपनाने के लिए कहा है। खुदरा निवेशकों से अंतरवाहों तथा योजनाओं के कार्य-निष्पादन प्रकटन के आधार पर बी -30 शहरों के लिए अतिरिक्त प्रोत्साहनों को सीमित करते हुये पारस्परिक निधि योजनाओं के लिए कुल व्यय अनुपात (TER) में पारदर्शिता के लिए एक रूपरेखा भी जारी की गई है।

भारतीय रिजर्व बैंक ने मुद्रा तिजोरियों के लिए अग्नि निवारण व्यवस्था की लेखा-परीक्षा के मानदंड शिथिल किए

भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को जिला अग्नि निवारण कार्यालयों में स्टाफ की कमी होने पर अग्नि निवारण व्यवस्था की लेखा परीक्षा राज्य/जिला अग्नि निवारण विभागों द्वारा अनुमोदित एजेंसियों से करवाने की अनुमति देते हुये मुद्रा तिजोरियों (currency chests) की लेखा परीक्षा हेतु मानदंडों को शिथिल कर दिया है। ये लेखा-परीक्षाएँ प्रत्येक दो वर्ष पर की जानी होती हैं। भारतीय रिजर्व बैंक को विविध बैंकों से उनकी मुद्रा तिजोरियों में कराई जाने वाली आवधिक अग्नि निवारण व्यवस्था की लेखा परीक्षा के

लिए राज्य/जिला अग्नि निवारण विभागों में स्टाफ की अनुपलब्धता के बारे में सूचनाएँ (references) प्राप्त होती रही हैं।

5

भारतीय रिजर्व बैंक ने भुगतान बैंको और लघु वित्त बैंकों को मांग/सूचना/ सावधि मुद्रा बाज़ारों में भाग लेने की अनुमति दी

भारतीय रिजर्व बैंक ने भुगतान बैंकों और लघु वित्त बैंकों को मांग/सूचना/ सावधि मुद्रा बाज़ारों में उधारकर्ताओं और ऋणदाताओं के रूप में सहभागिता करने का पात्र बना दिया है। इसप्रकार की पात्रता उनके द्वारा अपने आपको भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में शामिल कराने से पहले भी वैध है। विवेकसम्मत सीमाएं और अन्य दिशानिर्देश वही रहेंगे जो अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों पर लागू होते है।

नई नियुक्तियाँ

नाम	पदनाम/संगठन
श्री राकेश शर्मा	प्रबंध निदेशक, आईडीबीआई बैंक
श्री विक्रमादित्य सिंह खिची	कार्यपालक निदेशक, बैंक आफ बड़ौदा

उत्पाद एवं गठजोड़

संगठन	जिस संगठन के साथ गठजोड़ हुआ	उद्देश्य
भारतीय स्टेट बैंक	हिताची पेमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड	भारत के लिए एक अधुनातन कार्ड स्वीकृति और भविष्य के लिए तैयार डिजिटल पेमेंट प्लेटफार्म स्थापित करने हेतु।

विदेशी मुद्रा

विदेशी मुद्रा की प्रारक्षित निधियाँ

मद	26 अकतूबर, 2018	26 अकतूबर, 2018 के दिन

	के दिन बिलियन रुपए	मिलियन अमरीकी डालर
1. कुल प्रारक्षित निधियाँ	28,733.6	3,92,078.7
1.1 विदेशी मुद्रा आस्तियां	26,958.1	3,67,650.5
1.2 सोना	1,488.9	20,522.1
1.3 विशेष आहरण अधिकार	107.0	1,458.4

1.4 अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में प्रारक्षित निधि की स्थिति	179.6	2,447.7

स्रोत : भारतीय रिजर्व बैंक

नवंबर, 2018 माह के लिए लागू अनिवासी विदेशी मुद्रा (बैंक) की न्यूनतम दरें

विदेशी मुद्रा अनिवासी (बैंक) जमाराशियों की आधार दरें

मुद्रा	1 वर्ष	2 वर्ष	3 वर्ष	4 वर्ष	5 वर्ष
अमरीकी डालर	2.88400	3.05300	3.07810	3.11200	3.12200
जीबीपी	0.93060	1.1204	1.2153	1.3003	1.3644
यूरो	-0.21000	-0.110	0.039	0.200	**0.352**
जापानी येन	0.04380	0.069	0.091	0.109	0.139
कनाडाई डालर	2.55000	2.696	2.757	2.788	2.809
आस्ट्रेलियाई डालर	1.95500	2.035	2.110	2.366	2.466
स्विस फ्रैंक	-0.58750	-0.509	-0.361	-0.212	-0.070
डैनिश क्रोन	-0.10970	-0.0140	0.1732	0.3403	0.5030
न्यूजीलैंड डालर	1.99750	2.065	2.155	2.260	2.380
स्वीडिश क्रोन	-0.20200	-0.018	0.228	0.418	0.596
सिंगापुर डालर	1.99400	2.138	2.230	**2.300**	2.360
हांगकांग डालर	2.57000	2.800	2.910	2.970	3.010
म्यामार	3.72000	3.740	3.790	3.850	3.890

स्रोत : www.fedai.org.in

शब्दावली

कुल व्यय दर (TER)

कुल व्यय दर पारस्परिक निधि जैसी किसी निवेश निधि का प्रबंधन एवं परिचालन करने

से जुड़ी कुल लागतों का एक माप होती है। इन लागतों में मुख्यत: प्रबंधन शुल्क और क्रय-विक्रय शुल्कों, कानूनी शुल्कों, लेखा-परीक्षक शुल्कों तथा अन्य परिचालनात्मक खर्चों जैसे अतिरिक्त खर्चों का समावेश होता है। कुल व्यय अनुपात (TER) का निरूपण करने वाली उस प्रतिशत रकम जिसे अधिकांशत: केवल "व्यय अनुपात" कहा जाता है, को ज्ञात

करने के लिए किसी निधि की कुल लागत को निधि की कुल आस्तियों से विभाजित किया जाता है।

वित्तीय क्षेत्र की मूलभूत जानकारी

आस्ति पर प्रतिलाभ (ROA) कर-पश्चात

आस्ति पर प्रतिलाभ एक ऐसा लाभप्रदता अनुपात होता है जिससे कुल आस्तियों पर सृजित निवल लाभ (निवल आय) का पता चलता है। इसका परिकलन निवल आय को औसत कुल आस्तियों द्वारा विभाजित करके किया जाता है। सूत्र – कर-पश्चात लाभ/औसत कुल आस्तियां) x 100

संस्थान की प्रशिक्षण गतिविधियां

नवंबर 2018 में प्रशिक्षण कार्यक्रम

कार्यक्रम	**तिथियाँ**	**स्थान**
ऋण निगरानी पर कार्यक्रम	1 से 3 तक	
परीक्षोपरांत कक्षा में प्रशिक्षण प्रमाणित ऋण व्यावसायिक वीसीआरटी	14 से 16 तक	
परीक्षोपरांत कक्षा में प्रशिक्षण प्रमाणित ऋण व्यावसायिक वीसीआरटी	28 से 30 तक	
सूचना प्रौद्योगिकी सुरक्षा एवं साइबर अपराध	19 से 20 तक	
वसूली प्रबंधन पर कार्यक्रम	26 से 30 तक	
टीआईएसबी सहकारी बैंक के लिए कंपनी में कार्यरत पारिवीक्षाधीन अधिकारी कार्यक्रम	12 से 14 तक	

परीक्षोपरांत कक्षा में प्रशिक्षण सीसीपी फिजिकल	1 से 3 तक	नई दिल्ली

संस्थान समाचार

परीक्षा शुल्क वसूल करने के नियमों में परिवर्तन

संस्थान ने 1 जुलाई, 2017 से सेवा कर के स्थान पर वस्तु एवं सेवा कर (GST) प्रणाली अपना ली है। एसोसिएट, डिप्लोमा और मिश्रित पाठ्यक्रमों के लिए परीक्षा शुल्क वसूल करने के पूर्ववर्ती नियम में यह निर्धारण था कि अभ्यर्थियों को दो प्रयासों के लिए परीक्षा शुल्क का भुगतान एक साथ करना होगा। वस्तु एवं सेवा शुल्क प्रावधानों का पालन करने तथा कर भुगतान प्रबंधन को सरल बनाने के लिए शुल्क वसूल करने से संबन्धित नियम को पुनर्विन्यस्त किया गया है। अब संस्थान प्रत्येक प्रयास के लिए अभ्यर्थियों से परीक्षा शुल्क अलग-अलग वसूल करेगा। अतएव, अभ्यर्थियों को प्रत्येक प्रयास के लिए अलग-अलग पंजीकरण करवाना होगा।

बैंकों में क्षमता निर्माण

भारतीय रिजर्व बैंक ने 11 अगस्त, 2016 की अपनी अधिसूचना के द्वारा यह अनिवार्य कर दिया है कि प्रत्येक बैंक के पास परिचालन के प्रमुख क्षेत्रों में उपयुक्त योग्यता/प्रमाणन सहित कर्मचारियों को परिनियोजित करने के लिए बोर्ड द्वारा अनुमोदित एक नीति होनी चाहिए। प्रारम्भिक तौर पर उन्होंने निम्नलिखित क्षेत्र अभिज्ञात किया है :

- खजाना प्रबंधन : व्यापारी, मिड आफिस परिचालन।
- जोखिम प्रबंधन : ऋण जोखिम, बाजार जोखिम, परिचालन जोखिम, उद्यम-व्यापी जोखिम, सूचना सुरक्षा, चलनिधि जोखिम।
- लेखांकन – वित्तीय परिणाम तैयार करना, लेखा-परीक्षा कार्य।
- ऋण प्रबंधन : ऋण मूल्यांकन, श्रेणी-निर्धारण, निगरानी, ऋण संचालन।

कालांतर में भारतीय रिजर्व बैंक के निदेश पर भारतीय बैंक संघ ने उपयुक्त संस्थाओं एवं ऐसे

पाठ्यक्रमों की पहचान के लिए एक विशेषज्ञ दल का गठन किया था, जो आवश्यक प्रमाणन प्रदान कर सकें। इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकिंग एंड फाइनैंस उनमें से एक तथा एकमात्र ऐसी संस्था है जो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अभिज्ञात चार मेँ से तीन क्षेत्रों मेँ उक्त प्रमाणन प्रदान करती है।

इसके अतिरिक्त, भारतीय रिजर्व बैंक ने भारतीय बैंक संघ को संबोधित तथा प्रति इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकिंग एंड फाइनैंस को पृष्ठांकित दिनांक 31 मई, 2017 के अपने पत्र के तहत यह कहा है कि **भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ के सहयोग से इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स द्वारा उपलब्ध कराया जाने वाला विदेशी मुद्रा मेँ प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम ऐसे** सभी बैंक कर्मचारियों, जो खजाना परिचालन सहित विदेशी मुद्रा परिचालन के क्षेत्र मेँ कार्यरत है या कार्य करने के इच्छुक हैं, के लिए एक अनिवार्य प्रमाणन होगा।

संस्थान द्वारा खजाना परिचालन, जोखिम प्रबंधन और ऋण प्रबंधन के क्षेत्र मेँ उपलब्ध कराये जाने वाले पाठ्यक्रम आनलाइन परीक्षा के साथ प्रकृति की दृष्टि से मिश्रित हैं जिसके बाद उनमें
ऐसे अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है जिन्होंने आनलाइन परीक्षा सफलतापूर्वक उत्तीर्ण कर ली है। परीक्षा हेतु पंजीकरण और अधिक विवरण के लिए वेबसाइट www.iibf.org.in.देखें।

चार्टर्ड बैंकर इंस्टीट्यूट, एडिनबर्ग, यू. के. के साथ पारस्परिक मान्यता करार

संस्थान को चार्टर्ड बैंकर इंस्टीट्यूट, एडिनबर्ग, यू॰ के॰ के साथ पारस्परिक मान्यता करार हस्ताक्षरित होने की घोषणा करते हुये प्रसन्नता होती है। इस करार के अधीन भारत स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकर्स के प्रमाणित सहयोगी (CAIIB) अपनी अर्हताओं को चार्टर्ड बैंकर इंस्टीट्यूट द्वारा मान्यता दिलवाएँगे तथा वे संस्थान के व्यावसायिकता, आचारशास्त्र एवं विनियम माड्यूल का अध्ययन करके और परावर्तक दायित्व को सफलतापूर्वक पूरा करके चार्टर्ड बैंकर बनने मेँ समर्थ होंगे।

प्रौद्योगिकी पर आधारित कक्षा मेँ समाधान

संस्थान ने प्रौद्योगिकी पर आधारित कक्षा वाली विधि के माध्यम से प्रशिक्षण संचालित करने हेतु एक साफ्टवेयर अभिगृहीत किया है। यह साफ्टवेयर गुणवत्ता में किसी प्रकार की कमी लाये बिना संस्थान को प्रशिक्षार्थियों की काफी बड़ी संख्या तक प्रशिक्षण सामग्री प्रसारित करने में समर्थ बनाएगा। वित्तीय सेवाओं में जोखिम में प्रौद्योगिकी पर आधारित प्रशिक्षण भी आरंभ कर दिया गया है। अधिक विवरण के लिए हमारी वेबसाइट www.iibf.org.in देखें।

परीक्षा के लिए छद्म जांच सुविधा

संस्थान अपने प्रमुख पाठ्यक्रमों यथा जेएआईआईबी और सीएआईआईबी के अलावा अपने तीन विशिष्टीकृत पाठ्यक्रमों नामत: प्रमाणित खजाना व्यावसायिक, प्रमाणित ऋण व्यावसायिक तथा वित्तीय सेवाओं में जोखिम के लिए छद्म जक्ष्च की सुविधा प्रदान कर रहा है। अब छद्म जक्ष्च में किसी भी बैंक का कर्मचारी शामिल हो सकता है।

वीडियो व्याख्यान अब यूट्यूब पर उपलब्ध

संस्थान द्वारा जेएआईआईबी के तीन अनिवार्य प्रश्नपत्रों और सीएआईआईबी के दो अनिवार्य प्रश्नपत्रों के लिए प्रदान की जाने वाली वीडियो व्याख्यान की सुविधा संस्थान के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध होगी। उसके लिए लिंक है https:/ www.youtube.com/channel/UCjfflktvEh8yLb3vwxosGow/playlists"

मुंबई और कोलकाता स्थित संस्थान के स्वयं अपने परीक्षा केन्द्रों में परीक्षाएँ

इसके पूर्व संस्थान सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSME), ग्राहक सेवा और धन-शोधन निवारण/आतंकवाद के वित्तीयन का मुक़ाबला नामक अपने तीन पाठ्यक्रमों के लिए प्रत्येक महीने के दूसरे और चौथे शनिवारों को मुंबई एवं कोलकाता स्थित स्वयं अपने परीक्षा केन्द्रों में परीक्षाएँ आयोजित करता था। **अब ऊपर वर्णित परीक्षाएँ प्रत्येक महीने के 1ले और 3रे शनिवारों को आयोजित की जाएंगी।** अभ्यर्थीगण अपनी पसंद की परीक्षा की तिथि एवं केंद्र का चयन कर सकते हैं। पंजीकरण पहले आए, पहले पाये के आधार पर होगा। उपर्युक्त पाठ्यक्रमों की परीक्षा का कार्यक्रम हमारी वेबसाइट www.iibf.org.in.पर उपलब्ध है।

आगामी अंकों के लिए बैंक क्वेस्ट की विषय-वस्तुएं

बैंक क्वेस्ट के आगामी अंकों के लिए निर्धारित विषय-वस्तु निम्नानुसार है :

- सूक्ष्म शोध आलेख, स्मारक व्याख्यान और अंतराष्ट्रीय सम्मेलन – 2018 " अक्तूबर – दिसंबर, 2018

- पारस्परिक निधियाँ: जनवरी – मार्च, 2019
- बैंकों में नीतिशास्त्र और कारपोरेट अभिशासन : अप्रैल – जून, 2019
- बैंकिंग में उभरते प्रौद्योगिकीय परिवर्तन : जुलाई – सितंबर, 2019

परीक्षाओं के लिए दिशानिर्देशों /महत्वपूर्ण घटनाओं की निर्धारित तिथि

संस्थान में इस बात की जांच करने के उद्देश्य से कि अभ्यर्थी अपने –आपको वर्तमान घटनाओं से अवगत रखते हैं या नहीं प्रत्येक परीक्षा में कुछ प्रश्न हाल की घटनाओं/ विनियामक/कों द्वारा जारी दिशानिर्देशों के बारे में पूछे जाने की परंपरा है। हालांकि, घटनाओं/दिशानिर्देशों में प्रश्नपत्र तैयार किए जाने की तिथि से और वास्तविक परीक्षा तिथि के बीच की अवधि में कुछ परिवर्तन हो सकते हैं। इन मुद्दों का प्रभावी रीति से समाधान करने के लिए यह निर्णय लिया गया है कि :

(i) संस्थान द्वारा फरवरी, 2017 से जुलाई, 2017 तक की अवधि के लिए आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं के संबंध में प्रश्नपत्रों में समावेश के लिए विनियामक/कों द्वारा जारी अनुदेशों/दिशानिर्देशों और बैंकिंग एवं वित्त के क्षेत्र में 31 दिसंबर, 2016 तक की महत्वपूर्ण घटनाओं पर ही विचार किया जाएगा।

(ii) संस्थान द्वारा अगस्त, 2017 से जनवरी, 2018 तक की अवधि के लिए आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं के संबंध में प्रश्नपत्रों में समावेश के लिए विनियामक/कों द्वारा जारी अनुदेशों/दिशानिर्देशों
और बैंकिंग एवं वित्त के क्षेत्र में 30 जून, 2017 तक की महत्वपूर्ण घटनाओं पर ही विचार किया जाएगा।

नई पहलकदमी

सदस्यों से अनुरोध है कि वे संस्थान के पास मौजूद उनके ई-मेल पते अद्यतन करा लें तथा वार्षिक रिपोर्ट ई-मेल के जरिये प्राप्त करने हेतु अपनी सहमति भेज दे।

आईआईबीएफ विजन के स्वामित्व और अन्य विवरणों से संबन्धित वर्णन
इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स का जर्नल

12

1. प्रकाशन स्थल	: मुंबई
2. प्रकाशन की आवधिकता	: मासिक
3. प्रकाशक का नाम	: डा. जिबेन्दु नारायण मिश्र
राष्ट्रीयता	: भारतीय
पता	: इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स कोहिनूर सिटी, कामर्शियल- II, टावर 1, किरोल रोड, कुर्ला (प), मुंबई- 400 070
4. संपाद्क का नाम	: डा. जिबेन्दु नारायण मिश्र
राष्ट्रीयता	: भारतीय
पता	: इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स कोहिनूर सिटी, कामर्शियल- II, टावर 1, किरोल रोड, कुर्ला (प), मुंबई- 400 070
5 प्रिन्टिंग प्रेस का नाम	: आनलुकर प्रेस, 16 सासून डाक, कोलाबा, मुंबई- 400 005
6. स्वामियों के नाम एवं पता	: इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स कोहिनूर सिटी, कामर्शियल- II, टावर 1, किरोल रोड, कुर्ला (प), मुंबई- 400 070

मैं, डा. जे. एन. मिश्र, एतदद्वारा यह घोषणा करता हूं कि ऊपर दिये गए विवरण मेरी सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सत्य हैं।

31-03-2017 डा. जे. एन. मिश्र

प्रकाशक के हस्ताक्षर

समाचार पंजीयक के पास आरएनआई संख्या 69228/1998 के अधीन पंजीकृत

बाजार की ख़बरें

भारित औसत मांग दरें

13

6.6
6.5
6.4
6.3
6.2
6.1
6
5.9
5.8
5.7
5.6
5.5

मई, 2018, जून, 2018, जुलाई, 2018, अगस्त, 2018, सितंबर, 2018, अक्तूबर, 2018
स्रोत : भारतीय समाशोधन निगम न्यूजलेटर, अक्तूबर, 2018

भारतीय रिजर्व बैंक की संदर्भ दर

100
95
90
85 अमरीकी डालर
80 **जीबीपी**
75 **यूरो**
70 **येन**
65

60
55
50
मई, 2018, जून, 2018, जुलाई, 2018, अगस्त, 2018, सितंबर, 2018, अक्तूबर, 2018
स्रोत : फाइनैन्सियल बेंचमार्क बोर्ड आफ इंडिया लिमिटेड (FBIL)

खाद्येतर ऋण वृद्धि %

14

20
15
10
5
0
अप्रैल, 2018, मई, 2018, जून, 2018, जुलाई, 2018, अगस्त, 2018, सितंबर, 2018
स्रोत : मंथली रिव्यू आफ इकानामी, भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड, अक्तूबर, 2018

बंबई शेयर बाजार सूचकांक

40000.00
38000.00
36000.00
34000.00
32000.00
30000
28000
26000

मई, 2018, जून, 2018, जुलाई, 2018, अगस्त, 2018, सितंबर, 2018, अक्तूबर, 2018
स्रोत : बंबई शेयर बाजार (B S E)

समग्र जमा वृद्धि %

17
15
13

11

9

7

5

3

1

अप्रैल, 2018, मई, 2018, जुलाई, 2018, अगस्त, 2018, सितंबर, 2018, अक्तूबर, 2018

स्रोत : मंथली रिव्यू आफ इकानामी, भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड, अक्तूबर, 2018

15

डा॰ जे॰ एन॰ मिश्र द्वारा मुद्रित, डा॰ जे॰ एन॰ मिश्र द्वारा इंडियन इंस्टिट्यूट आफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स की ओर से प्रकाशित तथा आनलुकर प्रेस, 16 सासुन डाक, कोलाबा, मुंबई- 400 018 में मुद्रित एवं इंडियन इंस्टिट्यूट आफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स, कोहिनूर सिटी, कामर्शियल-II, टावर-1, 2री मंजिल, किरोल रोड, कुर्ला (पश्चिम),,मुंबई – 400 070 से प्रकाशित।
संपादक : डा॰ जे॰ एन॰ मिश्र

इंडियन इंस्टिट्यूट आफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स
कोहिनूर सिटी, कामर्शियल-II, टावर-1, 2री मंजिल,
किरोल रोड, कुर्ला (पश्चिम), ,मुंबई – 400 070
टेलीफोन : 91-22-2503 9604/ 9607 फैक्स : 91-22-2503 7332
तार : INSTIEXAM ई-मेल : admin@iibf.org.in.
वेबसाइट : www.iibf.org.in.

आईआईबीएफ विजन नवम्बर, 2018